Government to improve relations with Pakistan;

(b) whether Government envisage taking the help of a mediator like US to help the Jammu and Kashmir problem;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) Government desire a relationship of friendship, trust and cooperation with Pakistan. Prime Minister in his letter to the Prime Minister of Pakistan, has suggested that the two countries undertake a wide-ranging and comprehensive dialogue and resume the Foreign Secretary level talks. Government have also taken several unilateral measures to promote people-to-people contacts between the two countries. Pakistan's response to PM's letter to the Prime Minister of Pakistan is awaited.

(b) to (d) India's consistent policy has been that all issues between India and Pakistan should be resolved peacefully through bilateral negotiations, as envisaged in the Simla Agreement. Our unwavering commitment to the principle of bilateralism in our relationship with Pakistan rules out any third party mediation.

Taking over of Sainik Schools by Ministry of Human Resource Development

*297. SHRI S. MUTHU MANI:
SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the total number of Sainik Schools functioning under the Ministry of Defence;

(b) whether his Ministry has requested the Ministry of Human Resource Development to take over these Sainik Schools; and

(c) whether it is also a fact that Sainik Schools have not been sending enough candidates to the NDA and that only a little more than 3% of Sainik School students manage to pass the NDA entrance test?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) there are 18 Sainik Schools functioning in the country.

(b) Yes, Sir.

(c) Out of 660 cadets being taken into NDA annually, 60 to 70 cadets on an average for the last six years are from 18 Sainik Schools. Hence, the average intake from only 18 Sainik Schools to NDA is 8 to 11% annually.

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

*298. **श्री राघव जी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष किन-किन राज्यों में अब तक कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 में और चालू वर्ष में आज तक गुजरात में ऐसे कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है?

संचार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा : (क) और (ख) राज्यों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निश्चित किए गए मानदंड विवरण में दिए गए हैं। (नीचे **देखिए**)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है, उनकी राज्यवार और वर्ष-वार संख्या विवरण-II में दी गई है (नीचे **देखिए**)

(घ) गुजरात में 1994-95, 1995-96 के दौरान और आज की तारीख तक जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनका विवरण नीचे दिया गया है:—

दर्जा बढ़ाये गए डाकघरों की संख्या (वर्ष-वार)

क्रम सं०	वर्ष	गुजरात में दर्जा बढ़ाये गए डाकघरों की संख्या
1.	1994-95	—
2.	1995-96	3
3.	1996-97 (आज तक)	1

विवरण-I

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों का विभागीय उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड:

1. किसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर का न्यूनतम दैनिक कार्यभार कम-से-कम 5 घंटे होना चाहिए।

2. सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटा प्रतिवर्ष 2400 रु० से तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 4800 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में डाकघर को प्रारंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के दौरान डाकघर को 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि वह आगे बनाये रखे जाने का पात्र हो सके। लाभ और हानि का मूल्यांकन विभाग द्वारा अपनाये जा रहे आय और लागत के फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इस फार्मूले में डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री, अनपेड और अदा किये गये अपर्याप्त शुल्क वाली वस्तुओं पर लिये गये डाक-शुल्क, डाकघर द्वारा मनीआर्डरों और जारी किये गये तथा अदा किये गये भारतीय पोस्टल आर्डरों से एवं बचत बैंक लेन-देन के कमीशन से डाकघर की आय को हिसाब में लिया जाता है। इन कार्यों से जो कुल राजस्व प्राप्त होता है, उसके प्रतिशत को डाकघर की आय की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाता है। डाकघर की लागत इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज, किराये के रूप में देनदारी, निर्धारित स्टेशनरी चार्जेज, डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री आदि के मुद्रण की लागत को कवर करने के लिए बेची गई डाक-टिकटों और डाक-लेखन सामग्री आदि पर आधारित होती है।

3. 20 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में 2 डाकघरों के बीच की दूरी कम-से-कम 1.5 कि०मी० होनी चाहिए, और अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि० मी० होनी चाहिए। यदि वितरण डाकघर है, तो नजदीकी वितरण डाकघर से उसकी दूरी 5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

किसी उप-डाकघर का प्रधान डाकघर में दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड: किसी मौजूदा प्रधान डाकघर के अधीन जब उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है तो उसके लेखा-अधिकार क्षेत्र का विभाजन करके किसी उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि विभाजन के पश्चात मौजूदा प्रधान डाकघर और प्रस्तावित प्रधान डाकघर के अधीन रखे जाने वाले उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो। किसी जिले में यदि ऐसे 20 उप-डाकघर हैं जिन्हें प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा-अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा जा सकता है तब भी एक प्रधान डाकघर बनाया जा सकता है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में किसी उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाने में वित्तीय दृष्टि से पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया उनकी राज्यवार और वर्ष-वार संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	दर्जा बढ़ाये गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	—	—
2.	असम	9	3	—
3.	बिहार	—	—	—
4.	दिल्ली	1	1	—
5.	गुजरात	—	—	3
	दादर एवं नागर हवेली	—	—	—
	दमन एवं दीव	—	—	—
6.	हरियाणा	—	1	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	1
9.	कर्नाटक	4	1	1
10.	केरल	3	2	16
	लक्षद्वीप	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	—	1	1
	गोआ	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	7	2	1
13.	उत्तर पूर्व			
	अरूणाचल प्रदेश	—	2	—
	मणिपुर	—	—	—
	मेघालय	—	2	—

क्र० सं०	राज्य का नाम	दर्जा बढ़ाये गये डाकघरों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
	नागालैंड	—	—	—
	मिजोरम	—	—	—
	त्रिपुरा	—	—	—
14.	उड़ीसा	4	1	—
15.	पंजाब	1	—	1
	चण्डीगढ़	—	—	—
16.	राजस्थान	1	—	1
17.	तमिलनाडु	—	2	8
	पाण्डिचेरी	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	2	3	1
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	सिक्किम	—	—	—
	अंडमान एवं निकोबार	—	—	—
	कुल:	34	22*	36*

*इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक-एक उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाना शामिल है।

Telephone Facilities at Panchayat headquarters in Gujarat

299. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of panchayat headquarters in Gujarat provided with telephone facilities at present;

(b) the number of panchayat headquarters which are yet to be provided with this facility in the State; and

(c) by when these panchayat headquarters are likely to be linked with this facility throughout the State?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) 11986 Panchayat Headquarters in Gujarat have been provided with public telephone facility upto 31st March, 1996.

(b) 1524 Panchayat Headquarters in the State are yet to be provided with public telephone facility.

(c) The remaining Panchayat Headquarters are likely to be provided with such facility by the year 1997.

Using out-dated weapons by army in Jammu & Kashmir

*300. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Army is facing the militants in Jammu and Kashmir with out-dated weapons; and

(b) the reasons of maximum casualties of our defence personnel?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAN SINGH YADAV): (a) and (b) The Indian Army is equipped with weapons to carry out its conventional role. During the initial phase of militancy in J&K, the Army carried out its operations against militants with conventional weapons. However, some of these weapons were not ideally suited for anti-militant operations, since the militant groups operating in the Valley had started acquiring a wide spectrum of sophisticated weapons, like the AK series of rifles, and sniper rifles, which enabled them to generate high volume of rapid fire at close quarters. These weapons are reportedly being supplied by the ISI of Pakistan, with the objective of aiding and abetting terrorism in the State. With a view to effectively deal with the militants, steps have been taken to equip Army units operating in J&K with appropriate weapons. It has been decided to induct 5.56 mm series of weapons as a part of the modernisation plan of Indian Army. in addition, AK series of rifles and ammunitions, which are well suited to fight the militants have also been selectively inducted.